Rcms/2017/00514

फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– ....डीडवाना.........

प्रार्थी:– भँवरीबानो पत्नी हिदायतखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– आरीफखाँ पुत्र स्वर्गीय भँवरूखाँ, निवासी–दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र 212 R.T. Act. संख्या–...160...सन्–.....2017....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.11.2017	प्रार्थी भँवरीबानो पत्नी हिदायतखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण– आरीफखाँ पुत्र स्वर्गीय भँवरूखाँ, निवासी–दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एक पक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आगामी आदेश तक, विवादित भूमि वाके शरहद मौजा जतनपुरा के खसरा संख्या 189 में से नजरीनक्शा में दर्शित प्रार्थी का हिस्सा मार्क ए बी सी डी भाग 15/137वाँ हिस्सा की भूमि के राजस्व अभिलेख व मौका की यथास्थिति बनाए रखी जावे। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 08.12.2017 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
8/12/17	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/ अन्य कार्य। ... पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 5/1/18 को पेश हो।	
5/1/18	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/ अन्य कार्य। ... पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 27/2/18 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण के समक्ष तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। तलबाना पेश नहीं करने पर 09 R05 CPC के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट 11/01/23 को पेश हो।

11/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। अतः न्यायालय आदेश की अवहेलना में पत्रावली 09 R05 CPC के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner